रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2000/माघ 25, 1921
No. 92] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2000/MAGHA 25, 1921

SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2000

का० आ० 123 (अ).—विभिन्न स्रोतों से लगे स्थानों में परिवेशी ध्वनि स्तरों की वृद्धि पर अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक कार्यकलाप, सन्निर्माण कार्यकलाप, जनरेटर सेट, लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली, संगीत प्रणाली यानीय हार्न और अन्य यांत्रिक युक्तियों का मानव स्वास्थ्य पर हानिकार प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है; अत: ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य से ध्वनि उत्पादक और जनक स्रोतों को विनियमित और नियंत्रित करना आवश्यक समझा गया है;

ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण और विनियमन) नियम, 1999 का प्रारूप भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 528(अ), तारीख 28 जून, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्रित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आमंत्रित किए गए थे;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 जुलाई, 1999 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ii), धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ख) तथा धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ध्वनि उत्पादक और जनक स्रोतों के विनियमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "क्षेत्र/परिक्षेत्र" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची में दिए गए चार प्रवर्गों में से किसी के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ग) "प्राधिकारी" से, प्रवृत्त विधियों के अनुसार यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी, और उसमें तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक के अनुरक्षण के लिए अभिहीत जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) किसी कारखाने या परिसरों के संबंध में "व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति या अधिभोगी या उसका अभिकर्ता अभिप्रेत है जिसका उक्त कारखाने या परिसर के क्रियाकलाप पर नियंत्रण है;

(ङ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

3. विभिन्न क्षेत्रों/परिक्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक

(1) विभिन्न क्षेत्रों/परिक्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) राज्य सरकार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि मानकों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत क्षेत्रों/परिक्षेत्रों में क्षेत्रों को प्रवर्गीकृत कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार ध्वनि के उपशमन के लिए उपाय करेगी जिसमें यानीय संचलन से प्रसर्जित ध्वनि सम्मिलित है और यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यमान ध्वनि स्तर इन नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परिवेशी वायु क्वालिटी मानक से अधिक न हो।

(4) सभी विकास प्राधिकारी, स्थानीय निकाय और अन्य संबद्ध प्राधिकारी, शहरी और ग्रामीण योजना से संबंधित विकास क्रियाकलाप का आयोजन करते समय या उससे संबंधित कृत्यों का पालन करते समय ध्वनि संकट से बचाव के लिए और ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जीवन की क्वालिटी के प्राचल के रूप में ध्वनि प्रदूषण के सभी पक्षों पर विचार करेंगे।

(5) अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों के आसपास कम-से-कम 100 मीटर तक के क्षेत्र को इन नियमों के प्रयोजन के लिए शांत क्षेत्र/परिक्षेत्र घोषित किया जाएगा।

4. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रवृत्त करने का दायित्व

(1) किसी क्षेत्र/परिक्षेत्र में ध्वनि स्तर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट ध्वनि से संबंधित परिवेशी वायु क्वालिटी मानक से अधिक नहीं होगा।

(2) प्राधिकरण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रवर्तन और ध्वनि से संबंधित परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

5. लाउड स्पीकर और लोक संबोधन प्रणाली के प्रयोग पर निर्बन्धन

(1) लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब प्राधिकरण से लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त की गई हो।

(2) लाउड स्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का प्रयोग रात में (10 बजे अपराह्न से 6 बजे पूर्वाह्न तक) नहीं किया जाएगा सिवाय तब के जब वह भीतरी संसूचना के लिए बंद परिसर में हो उदाहरणतया सभा भवन, सम्मेलन कक्ष, समुदाय हाल और प्रीतिभोज हाल।

6. शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र में किसी उल्लंघन के परिणाम

जो कोई व्यक्ति शांत परिक्षेत्र/क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान में निम्नलिखित कोई अपराध करता है, वह उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा :—

(i) जो कोई किसी प्रकार का संगीत गाता/बजाता है या कोई ध्वनि प्रवर्धक प्रयोग करता है;

(ii) जो कोई ढोल/टॉम टॉम पीटता है या हार्न बजाता है चाहे वह संगीतमय हो या दबाने वाला, या तुरही बजाता है या किसी यंत्र को पीटता है या बजाता है, या

(iii) जो कोई भीड़ आकर्षित करने के लिए कोई अनुकरणशील, संगीतमय या अन्य अभिनय प्रदर्शित करता है।

7. प्राधिकरण को की जाने वाली शिकायतें

(1) कोई व्यक्ति, यदि ध्वनि स्तर परिवेशी ध्वनि मानक से 10 डीबी(ए) या किसी क्षेत्र/परिक्षेत्र के सामने तत्संबंधी स्तंभ में दिए गए से अधिक बढ़ जाता है तो प्राधिकरण को शिकायत कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, शिकायत पर कार्यवाही करेगा और उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध इन नियमों और प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

8. किसी संगीतमय ध्वनि या ध्वनि के जारी रहने को प्रतिषिद्ध आदि करने की शक्ति

(1) यदि प्राधिकरण का, किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट से या उसके द्वारा प्राप्त किसी अन्य सूचना से समाधान हो जाता है कि लोक या किसी व्यक्ति, जो उसके आसपास निवास करता हो या किसी संपत्ति का अधिभोग करता हो, क्षोभ, विघ्न, असुविधा या क्षति या क्षोभ, विघ्न, असुविधा या क्षति के जोखिम को निवारित करने के लिए आवश्यक समझता है तो वह लिखित आदेश द्वारा निम्नलिखित के निवारण, प्रतिपेध, नियंत्रण या विनियमन के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जैसे वह आवश्यक समझे :—

(क) किन्हीं परिसरों में निम्नलिखित के घटने या जारी रहने पर—

(i) किसी कंठ संगीत या वाद्य संगीत,

(ii) किसी यंत्र जिसमें लाउड स्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली, साधित्र या यंत्र या प्रयुक्ति जो ध्वनि उत्पादित या पुनरुत्पादित करने के योग्य है के किसी भी रीति से बजाने, पीटने, टकराने, धमन या प्रयोग द्वारा कारित ध्वनियां, या

(ख) किन्हीं परिसरों में या पर किसी व्यापार, उप-व्यवसाय या संक्रिया या प्रक्रिया का करना जिसके परिणामस्वरूप या जिसके करने से ध्वनि हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन सशक्त किया गया प्राधिकरण या तो स्वयं अपनी प्रेरणा से या उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश में या तो विखंडित, उपांतरित या परिवर्तित कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी आवेदन का निपटान करने से पूर्व, उक्त प्राधिकरण आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा अपने समक्ष हाजिर होने और उक्त आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर देगा तथा यदि वह ऐसे किसी आवेदन को पूर्णतया या भागरूप रद्द करता है तो ऐसे रद्द किए जाने के लिए कारण अभिलिखित करेगा।

अनुसूची

[नियम 3(1)और 4(1) देखिए]

ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक

क्षेत्र का कोड	क्षेत्र/परिक्षेत्र का प्रवर्ग	डीबी(ए) लैक में सीमा*	
		दिन का समय	रात का समय
(क)	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
(ख)	वाणिज्यिक क्षेत्र	65	55
(ग)	आवासीय क्षेत्र	55	45
(घ)	शांत परिक्षेत्र	50	40

टिप्पण :—1. दिन के समय से 6.00 बजे पूर्वा. से 10.00 बजे अप. तक अभिप्रेत है।

2. रात्रि समय से 10 बजे अप. से 6.00 बजे पूर्वा. तक अभिप्रेत है।

3. शांत परिक्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो अस्पतालों, शैक्षिक संस्थाओं और न्यायालयों के आसपास कम-से-कम 100 मीटर में समाविष्ट है। शांत परिक्षेत्र ऐसे परिक्षेत्र हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित किए जाएं।

4. मिश्रित प्रवर्गों के क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऊपर वर्णित चार प्रवर्गों में से एक घोषित किए जा सकते हैं।

* डीबी(ए) लैक द्योतक है मानवीय श्रवण से संबंधित मापक 'ए' पर डेसीबल में ध्वनि का समय भारित औसत स्तर।

''डेसीबल'' वह एकक है जिसमें ध्वनि मापी जाती है।

डीबी(ए) लैक में ''ए'' द्योतक है ध्वनि के माप में आवृत्ति भार और मानवीय कान की आवृत्ति उत्तर लक्षणों के समरूप है।

लैक : यह विनिर्दिष्ट अवधि में ध्वनि स्तर का ऊर्जा माध्य है।

[फा. सं. क्यू.-14012/1/96-सीपीए]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 February, 2000

S.O. 123(E).— Whereas the increasing ambient noise levels in public places from various sources, inter-alia, industrial activity, construction activity, generator sets, loud speakers, public address systems, music systems, vehicular horns and other mechanical devices have deleterious effects on human health and the psychological well being of the people; it is considered necessary to regulate and control noise producing and generating sources with the objective of maintaining the ambient air quality standards in respect of noise;

Whereas a draft of Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 1999 was published under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 528 (E) dated the 28th June, 1999 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

IndiaCode

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 1st day of July, 1999;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules for the regulation and control of noise producing and generating sources, namely:-

The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000

1. **Short-title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) "area/zone" means all areas which fall in either of the four categories given in the Schedule annexed to these rules;

(c) "authority" means any authority or officer authorised by the Central Government, or as the case may be, the State Government in accordance with the laws in force and includes a District Magistrate, Police Commissioner, or any other officer designated for the maintenance of the ambient air quality standards in respect of noise under any law for the time being in force;

(d) "person" in relation to any factory or premises means a person or occupier or his agent, who has control over the affairs of the factory or premises;

(e) "State Government" in relation to a Union territory means the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution.

3. **Ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones.-**

(1) The ambient air quality standards in respect of noise for different areas/zones shall be such as specified in the Schedule annexed to these rules.

(2) The State Government may categorize the areas into industrial, commercial, residential or silence areas/zones for the purpose of implementation of noise standards for different areas.

(3) The State Government shall take measures for abatement of noise including noise emanating from vehicular movements and ensure that the existing noise levels do not exceed the ambient air quality standards specified under these rules.

(4) All development authorities, local bodies and other concerned authorities while planning developmental activity or carrying out functions relating to town and country planning shall take into consideration all aspects of noise pollution as a parameter of quality of life to avoid noise menace and to achieve the objective of maintaining the ambient air quality standards in respect of noise.

(5) An area comprising not less than 100 metres around hospitals, educational institutions and courts may be declared as silence area/zone for the purpose of these rules.

4. Responsibility as to enforcement of noise pollution control measures.-

(1) The noise levels in any area/zone shall not exceed the ambient air quality standards in respect of noise as specified in the Schedule.

(2) The authority shall be responsible for the enforcement of noise pollution control measures and the due compliance of the ambient air quality standards in respect of noise.

5. Restrictions on the use of loud speakers/public address system.-

(1) A loud speaker or a public address system shall not be used except after obtaining written permission from the authority.

(2) A loud speaker or a public address system shall not be used at night (between 10.00 p.m. to 6.00 a.m.) except in closed premises for communication within, e.g. auditoria, conference rooms, community halls and banquet halls.

6. Consequences of any violation in silence zone/area.-

Whoever, in any place covered under the silence zone/area commits any of the following offence, he shall be liable for penalty under the provisions of the Act:-

(i) whoever, plays any music or uses any sound amplifiers,

(ii) whoever, beats a drum or tom-tom or blows a horn either musical or pressure, or trumpet or beats or sounds any instrument, or

(iii) whoever, exhibits any mimetic, musical or other performances of a nature to attract crowds.

7. Complaints to be made to the authority.-

(1) A person may, if the noise level exceeds the ambient noise standards by 10 dB(A) or more given in the corresponding columns against any area/zone, make a complaint to the authority.

(2) The authority shall act on the complaint and take action against the violator in accordance with the provisions of these rules and any other law in force.

8. Power to prohibit etc. continuance of music sound or noise.-

(1) If the authority is satisfied from the report of an officer incharge of a police station or other information received bv him that it is necessary to do so in order to prevent annoyance, disturbance, discomfort or injury or risk of annoyance, disturbance, discomfort or injury to the public or to any person who dwell or occupy property on the vicinity, he may, by a written order issue such directions as he may consider necessary to any person for preventing, prohibiting, controlling or regulating:-

(a) the incidence or continuance in or upon any premises of -

(i) any vocal or instrumental music,

(ii) sounds caused by playing, beating, clashing, blowing or use in any manner whatsoever of any instrument including loudspeakers, public address systems, appliance or apparatus or contrivance which is capable of producing or re-producing sound, or

(b) the carrying on in or upon, any premises of any trade, avocation or operation or process resulting in or attended with noise.

(2) The authority empowered under sub-rule (1) may, either on its own motion, or on the application of any person aggrieved by an order made under sub-rule (1), either rescind, modify or alter any such order:

Provided that before any such application is disposed of, the said authority shall afford to the applicant an opportunity of appearing before it either in person or by a person representing him and showing cause against the order and shall, if it rejects any such application either wholly or in part, record its reasons for such rejection.

SCHEDULE

(see rule 3(1) and 4(1)

Ambient Air Quality Standards in respect of Noise

Area Code	Category of Area/Zone	Limits in dB(A) Leq *	
		Day Time	NightTime
(A)	Industrial area	75	70
(B)	Commercial area	65	55
(C)	Residential area	55	45
(D)	Silence Zone	50	40

Note :- 1. Day time shall mean from 6.00 a.m. to 10.00 p.m.

2. Night time shall mean from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

3. Silence zone is defined as an area comprising not less than 100 metres around hospitals, educational institutions and courts. The silence zones are zones which are declared as such by the competent authority.

4. Mixed categories of areas may be declared as one of the four abovementioned categories by the competent authority.

*dB(A) Leq denotes the time weighted average of the level of sound in decibels on scale A which is relatable to human hearing.

A "decibel" is a unit in which noise is measured.

"A", in dB(A) Leq, denotes the frequency weighting in the measurement of noise and corresponds to frequency response characteristics of the human ear.

Leq : It is an energy mean of the noise level over a specified period.

[F. No Q-14012/1/96-CPA]
VIJAI SHARMA, Jt Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054